चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों से 119 अदद क्वार्टर अवैध देशी व 10 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह मय हमराह आरक्षी राकेश कुमार व आरक्षी शुभम त्रिपाठी थाना मऊ द्वारा अभियुक्त पंचराज निषाद उर्फ बुल्लू पुत्र स्व0 रामइच्छा निषाद निवासी ग्राम बरहा कोटरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र 35 वर्ष को एक पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री वंशनारायण सिंह मय हमराह आरक्षी संदीप यादव व आरक्षी दुर्गेश नन्दन पटेल थाना मऊ द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र स्व0 बेनी प्रसाद निवासी ग्राम बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक बोरी में 25 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री वंशनारायण सिंह मय हमराह आरक्षी संदीप यादव व आरक्षी दुर्गेश नन्दन पटेल थाना मऊ द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार सेन पुत्र स्व0 सुग्रीव प्रसाद निवासी ग्राम चंदई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक बोरी में 28 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी सौरभ यादव आरक्षी दीपक कुमार थाना पहाड़ी द्वारा अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र लालूराम निवासी बांदा जनपद बांदा हालमु0 लोहदा रोड पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 26 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र उपाध्याय मय हमराह आरक्षी मंगला प्रसाद थाना मारकुण्डी द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र सम्पत पाल निवासी दीपू कोलान थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 40 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।